



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र, 1947 (श०)

संख्या - 166 राँची, बुधवार,

9 अप्रैल, 2025 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

26 मार्च, 2025

विषय:- झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के द्वारा पुलिस संगठन के अतिरिक्त गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सभी संलग्न कार्यालयों के निर्माण कार्य करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-4285, दिनांक 30.09.2022 में संशोधन करने के संबंध में।

संख्या-2016--झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन एक सरकारी कम्पनी के रूप में गृह विभाग के संकल्प सं०-5454, दिनांक 25.10.2002 के द्वारा किया गया है। संकल्प की कंडिका 2(घ) में अंकित प्रावधान इस प्रकार है :-

"निगम का कार्य एजेन्सियों के माध्यम से नियमानुसार पुलिस संगठन से संबंधित सभी कार्यालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण तथा रख-रखाव कराने तक सीमित रहेगा। साधारणतया, कंपनी स्वयं किसी अन्य विभाग का निर्माण कार्य नहीं करेगी।"

2. विभागीय संकल्प संख्या-4285, दिनांक 30.09.2022 द्वारा उक्त कंडिका- 2(घ) में निम्न प्रकार से संशोधन करते हुए प्रतिस्थापित किया गया है :-

"निगम को कार्य एजेंसियों के माध्यम से, नियमानुसार गृह विभाग से संबंधित सभी कार्यालय यथा-पुलिस, कारा, गृह रक्षा वाहिनी, अग्निशमन सेवा, सैनिक कल्याण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आपदा प्रबंधन आदि के कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण तथा रखरखाव का कार्य करेगी ।"

3. विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के साथ-साथ भवन निर्माण विभाग के माध्यम से भी कार्य कराया जाय। यह समानता का अवसर भी प्रदान करेगा ।

4. उपरोक्त के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-4285, दिनांक 30.09.2022 की कंडिका-4 में निम्न रूपेण संशोधन करते हुए प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"निगम को कार्य एजेंसियों के माध्यम से, नियमानुसार गृह विभाग से संबंधित सभी कार्यालय यथा-पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी, अग्निशमन सेवा, सैनिक कल्याण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आपदा प्रबंधन आदि (कारा निरीक्षणालय को छोड़कर) के कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण तथा रखरखाव का कार्य करेगी ।

तथा

कारा निरीक्षणालय से संबंधित सभी निर्माण/मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य भवन निर्माण विभाग एवं विभिन्न काराओं में पेयजल आपूर्ति / स्वच्छताधिष्ठापन का कार्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से कराया जाएगा"। संकल्प सं०-5454, दिनांक 25.10.2002 तथा संकल्प संख्या-4285, दिनांक 30.09.2022 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी ।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 25.03.2025 की बैठक में मद संख्या-14 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।
